संख्या- 25 /2016/1583/33-3-2016-100(12)/2015

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 21 जून, 2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2016-17 अनुदान संख्या- 14 में आयोजनागत मद में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना) हतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 995.22 लाख अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/2116/2016-5/155/2015, दिनांक 09 जून, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 1000.000 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 995.22 लाख (रूपये नौ करोड पन्चानबे लाख बाइस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन, जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार, श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2016-17 की अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 एवं इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा इस धनराशि को ग्राम पंचायत निधि में जमा कराकर व्यय किया जायेगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता होने पर ही ग्राम पंचायत को धनराशि अवमुक्त की जाय एवं मानचित्र सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(4) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-101-पंचायती राज-08-बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना) -24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस'2008-मित-1/2007, दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(8) प्रशासनिक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना पूर्व से संचालित किसी अन्य योजना से आच्छादित /स्वीकृत न हो और न ही किसी अन्य प्रस्तावित योजना से आच्छादित /स्वीकृत हो।

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(11) प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टयों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(12) बहुउदेदेशीय पंचायत भवन के निर्माण की निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य की देखरेख एवं उसकी समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। जनपद का नोडल अधिकारी प्रति माह निर्माण की प्रगति से शासन/निदेशक पंचायतीराज को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या/तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त संबंधित जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- समस्त संबंधित कोषाधिकारी,उ0प्र0।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में बहुउद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या–14

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायत जिसमें पंचायत निर्मित है।	ग्राम पंचायत जिसमें पंचायत भवन निर्मित नहीं है।	कुल पंचायत भवन के सापेक्ष निर्मित कराये गये पंचायत भवनों का प्रतिशत	अनुदान संख्या–14 में प्रस्तावित पंचायत भवनों की संख्या एवं प्रस्तावित धनराशि		पंचायत भवन निर्माण किये जाने हेतु आवंटित धनराशि
						लक्षित पंचायत भवनों की संख्या	प्रति पंचाचत भवन रू0–17.46 लाख की दर से प्रस्तावित धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	16
1	फिरोजाबाद	570	347	223	60.88	2	34.920	34.920
2	एटा	576	350	226	60.76	1	17.460	17.460
3	मैनपुरी	560	335	225	59.82	2	34.920	34.920
4	गौतमबुद्धनगर	153	91	62	59.48	1	17.460	17.460
5	अलीगढ़	902	533	369	59.09	1	17.460	17.460
6	कासगंज	423	249	174	58.87	1	17.460	17.460
7	गोरखपुर	1354	779	575	57.53	4	69.840	69.840
8	सोनभद्र	637	363	274	56.99	1	17.460	17.460
9	सुलतानपुर	986	548	438	55.58	1	17.460	17.460
10	फर्रुखाबाद	603	329	274	54.56	1	17.460	17.460
11	गोण्डा	1054	574	480	54.46	1	17.460	17.460
12	मऊ	684	371	313	54.24	1	17.460	17.460
13	बलिया	949	511	438	53.85	1	17.460	17.460
14	बदायूँ	1038	554	484	53.37	2	34.920	34.920
15	बुलन्दशहर	951	507	444	53.31	1	17.460	17.460
16	जौनपुर	1773	917	856	51.72	1	17.460	17.460
17	आगरा	695	353	342	50.79	1	17.460	17.460
18	बागपत	245	123	122	50.20	1	17.460	17.460
19	इलाहाबाद	1637	808	829	49.36	1	17.460	17.460
20	फैजाबाद	835	408	427	48.86	1	17.460	17.460
21	मथुरा	547	258	289	47.17	1	17.460	17.460
22	कन्नौज	504	231	273	45.83	6	104.760	104.760
23	हापुड़	273	123	150	45.05	1	17.460	17.460
24	बरेली	1193	531	662	44.51	1	17.460	17.460
25	देवरिया	1190	508	682	42.69	1	17.460	17.460
26	सिद्धार्थनगर	1199	506	693	42.20	1	17.460	17.460
27	गाजीपुर	1236	490	746	39.64	2	34.920	34.920
28	सम्भल	556	207	349	37.23	1	17.460	17.460
29	बलरामपुर	801	297	504	37.08	1	17.460	17.460

(सत्य प्रकाश)
वरिष्ठ सहायक

(एस0 एन0 सिंह)

क्र.सं.	जनपद का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायत जिसमें पंचायत निर्मित है।	ग्राम पंचायत जिसमें पंचायत भवन निर्मित नहीं है।	कुल पंचायत भवन के सापेक्ष निर्मित कराये गये पंचायत भवनों का प्रतिशत	अनुदान संख्या–14 में प्रस्तावित पंचायत भवनों की संख्या एवं प्रस्तावित धनराशि		पंचायत भवन निर्माण किये जाने हेतु आवंटित धनराशि
						लक्षित पंचायत भवनों की संख्या	प्रति पंचायत भवन रू0–17.46 लाख की दर से प्रस्तावित धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	16
30	संतकबीरनगर	794	289	505	36.40	1	17.460	17.460
31	पीलीभीत	721	243	478	33.70	1	17.460	17.460
32	अमरोहा	601	199	402	33.11	1	17.460	17.460
33	मुरादाबाद	588	171	417	29.08	1	17.460	17.460
34	शाहजहाँपुर	1077	288	789	26.74	1	17.460	17.460
35	बस्ती	1247	278	969	22.29	7	122.220	122.220
36	रामपुर	684	142	542	20.76	4	69.840	69.840
महायोग		29836	13811	16025	46.29	57	995.22	995.22
					(नौ करोड़ पंचानवे लाख बाइस हजार मात्र)			

नोट :– उक्त आवंटन 60 प्रतिशत से कम निर्मित कराये गये पंचायत भवनों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में आवंटन किया गया है।

2/6/2016
(सत्य प्रकाश)
वरिष्ठ सहायक

(एस0एन0 सिंह)
उप निदेशक
पंचायतराज उ0प्र0